# न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
## पीठासीन अधिकारीः– श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या 77/2021

| प्रार्थी | बनाम | अप्रार्थीगण |
|---|---|---|
| 1 गंगाराम पुत्र चिमनाराम जाति सीरवी निवासी– बेरा हनुमान सागर, ग्राम सुरायता तहसील सोजत, जिला पाली (राज0)। | 1. | तहसीलदार सोजत (भूमि धारक) तहसील सोजत जिला पाली। |

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थितिः–

1. श्री देवेन्द्र ईश्वरदास पुरूश्वाणी अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
2. अप्रार्थी तहसीलदार सोजत स्वयं उपस्थित।

दिनांक 28/7/22

–: निर्णय :–

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 110,111 भू–राजस्व अधिनियम 1956 का पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी एवं उनके भाइयों की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा ग्राम सुरायता के खसरा नम्बर 2442, 2443, 2450, 2451 कुल खसरा 04 कुल रकबा 8.9300 हैक्टर की आई हुई स्थित है, जिसमें राजस्व रेकार्ड अनुसार प्रार्थी का हक हिस्सा आता है। उपरोक्त वर्णित खसराजात की कृषि भूमि का सीमांकन करने हेतु एक आवेदन पत्र उपरोक्त कृषि भूमि के सहखातेदार चुनीलाल पुत्र ढगलाराम ने दिनांक 19.06.1997 को प्रस्तुत किया था, जिस पर तहसीलदार सोजत द्वारा पैमाइश कर सीमा ज्ञान कराए जाने के आदेश पारित किए गए तब मौके पर पटवारी को भेज कर सीमांकन किया गया, तत्पश्चात् कृषि भूमि के सभी खातेदारों ने स्वयं के खर्चे से आवारा पशुओं से फसल की सुरक्षा करने हेतु सीमेन्ट के पोल लगाए गए व तारबंदी की गई, जो पुराने व कमजोर होने के कारण क्षतिग्रस्त होने से प्रार्थी ने दिनांक 10.06.2020 को उपरोक्त खसराजात की कृषि भूमि का सीमांकन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर दिनांक 12.06.2020 को तहसीलदार सोजत के आदेश क्रमांक भू.अ./20/1284–1285 दिनांक 10.06.2020 की अनुपालना में मौके पर जाकर सीमांकन की कार्यवाही की, तब सभी खातेदारानों ने स्वयं के खर्चो से तारबंदी करवाई, खेत के पडौसियान द्वारा अपनी मन–मर्जी के अनुसार प्रार्थी की खातेदारी को छिण–भिन्न करके तारबन्दी को तोड़ना चाहते है तथा नाना प्रकार के मुकदमे करने पर उतारू हो गए तथा पूर्व में किए गए सीमांकन को मानने से इंकार कर दिया है। इस बाबत् झगडा हुआ था, अभी भी मौके पर भारी विवाद उत्पन्न हो रहा है। प्रार्थी अपने सहखातेदारों के साथ मिलकर अपनी उपरोक्त कृषि भूमि को सुरक्षा करने हेतु बिखेरी गई तारबंदी को पुनः करवाना चाहते है, जिसके लिए सीमांकन व पत्थरगढ़ी किया जाना अत्यावश्यक है, ताकि मौके पर किसी प्रकार का विवाद नहीं हो। प्रार्थी अपनी उपरोक्त कृषि भूमि की तारबंदी करवा कर अपनी फसलों की आवारा पशुओं व पड़ौसी खातेदारों से सुरक्षित करवाना चाहता है। जिसका प्रार्थी को पूर्ण अधिकार प्राप्त है। प्रार्थी व उनके सहखातेदारों ने पड़ौसी खातेदार को मौके पर पुनः सीमांकन करवा कर पत्थर गढ़ी करवाने हेतु निवेदन किया

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सोजत (राज.)

परन्तु पड़ौसी खातेदार ने वादस्थ भूमि का किसी प्रकार से सीमांकन व पत्थर गढ़ी करवाने से साफ मना कर दिया, यदि प्रार्थी व उनके सहखातेदारों की कृष भूमि पर सीमांकन नहीं किया गया तो प्रार्थी व उसके सहखातेदरो को अपूर्णिय क्षति होगी, जिसका मूल्यांकन रूपयों पैसों से नहीं आंका जा सकता। पडौसी खातेदार बावरी जाति के व्यक्ति है, जो हिंसक व आपराधिक प्रकृति के है जो प्रार्थी व सहखातेदरों को तंग व परेशान करने की नियत से झुठे एस.सी.एस.टी. के मुकदमें पूर्व में कर चुके है व करवाने पर उतारू है तथा पड़ौसी खातेदारान ने प्रार्थी को धमकी दी कि यह माठै ऐसे ही रहेगी, तुम्हो जो करना है, वह कर ले, मौके पर किसी पटवारी को आने नहीं दूंगा, इसलिए विवादित खसरा नम्बर 2443 की खातेदारी कृषि भूमि का पत्थरगढ़ी व सीमांकन किया जाना कानूनन एवं न्याय संगत है।

इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर सरहद मौजा सुरायता के विवादित खसरा नम्बर 2443 रकबा 6.1600 हैक्टर की पश्चिमी दिशा में पड़ौसी खातेदार की लगती माठ का सीमांकन किया जाकर मौके पर पत्थरगढ़ी कर तारबंदी पुलिस इमदाद के जरिए मुटाम लगवाये जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिए नोटिस वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। तहसीलदार सोजत ने दिनांक 28.07.2022 को जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर अंकित किया कि पैरा संख्या 01 में वर्णित भूमि सरहद मौजा सुरायता में स्थित है। पैरा संख्या 02 से 04 वादी स्वयं साबित करे तथा पैरा संख्या 05 व 06 कानूनी होना बताया है।

बहस प्रार्थना पत्र अधिवक्ता प्रार्थी व तहसीलदार सोजत सूनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने व्यक्त किया कि सरहद मौजा सुरायता के विवादित खसरा नम्बर 2443 रकबा 6.1600 हैक्टर की पश्चिमी दिशा में पड़ौसी खातेदार की लगती माठ का सीमांकन किया जाकर मौके पर पत्थरगढ़ी कर तारबंदी पुलिस इमदाद के जरिए मुटाम लगवाये जाने की ईश्तदुआ की है। बहस के दौरान अप्रार्थी तहसीलदार, सोजत ने व्यक्त किया कि अधिवक्ता मय प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में जिस विवादीत सीमा (माठ ) के खातेदार को पक्षकार संयोजित नही किया गया है। जिससे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही है। लिहाजा खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की है।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ पत्र व फहरिस्त मय दस्तावेज का अध्ययन कर बहस अधिवक्ता प्रार्थी व अप्रार्थी तहसीलदार, सोजत पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे अंकित किया है कि प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि के पडौसियान द्वारा अपनी मन–मर्जी के अनुसार प्रार्थी की खातेदारी को छिण–भिन्न करके तारबन्दी को तोड़ना चाहते है। किन्तु अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा इन्है पक्षकार संयोजित नही किया है न ही

उपखण्ड मजिस्ट्रेट,
सोजत (राज.)

किस भूमि की माठ को लेकर विवाद है का स्पष्ट अंकन अपने प्रार्थना पत्र में किया है। लिहाजा प्रार्थी मय अधिवक्ता प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र क्लीन हैण्ड से पेश नही करने से खारिज किया जाना उचित समझते है।

**–: आदेश:–**

अतः अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का क्लीन हैण्ड से पेश नही करने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हों।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड मजिस्ट्रेट,
सोजत (राज॰)

निर्णय आज दिनांक 28/07/22 को सरे ईजलास पृथक से लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड मजिस्ट्रेट,
सोजत (राज॰)

सोजत (राज.)